



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादशुल्क  
CENTRAL GST AND CENTRAL EXCISE  
पी.बी.नं.13, आई.सी.ई भवन, प्रेस क्लब रोड  
P.B.No.13, I.C.E.BHAVAN, PRESS CLUB ROAD  
तिरुवनंतपुरम , THIRUVANANTHAPURAM, 695001

www.cenexcisetvm.gov.in E-mail: thiruvan@nic.in फैक्स/Fax: 0471-2325252  
टेलीफोन/Telephones 0471 - 2337040 /41/42/45/46, 2337552/2337553

सी.सं : II/39/06/2019 प्रशा

दिनांक : .01.2020

विषय: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की परिवादों के समाधान के लिए आयुक्तालय में  
आंतरिक परिवाद समिति का गठन -संबंधित

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.2.2019 को जारी समसंख्यक आदेश के आंशिक संशोधन में एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण ) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) में निहित प्रावधानों के प्रयोग में, कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की परिवादों के समाधान के लिए तिरुवनंतपुरम सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय की आंतरिक परिवाद समिति को निम्न प्रकार से पुनर्गठित की जाती है : -

- 1 सुश्री सिमि एस., उप आयुक्त (पीठासीन अधिकारी)
- 2 सुश्री मिलवी जॉनसन, मुख्य लेखा अधिकारी (सदस्य )
- 3 श्री एस.सुरेश (नं.III), अधीक्षक (सदस्य )
- 4 सुश्री सीता गुप्ता, वरिष्ठ अनुवादक (सदस्य)
- 5 सुश्री लिजी एस.आर., निजी सचिव (सदस्य)
- 6 एडवोकेट जे. संध्या (अन्य पक्ष नामिती)

आंतरिक परिवाद समिति आयुक्तालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी सभी शिकायतों की

जांच करेगी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय विकसित करेगी।

इसे प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शिव प्रसाद एस

(शिवप्रसाद एस)

संयुक्त आयुक्त (का एवं स)

सेवा में

पीठासीन अधिकारी / समिति के सदस्य

प्रतिलिपि समर्पित :-

- 1 प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

- 1 उप/ सहायक आयुक्त, सीजीएसटी नॉर्थ/ साउथ/ कोल्लम/ आलप्पुषा/ कोट्टयम/ पत्तनंतिट्टा मंडल
- 2 अधीक्षक, सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम
- 3 अधीक्षक, कंप्यूटर सेल को वेब साइट में अपलोड करने के लिए
- 4 मुख्यालय के सभी विभागों के लिए